[2022] 17 एससीआर 360

भारत पेट्रालियम कार्पोरेशन लि0 (बीपीसीएल) तथा अन्य

बनाम

निसार अहमद गनई तथा अन्य

(सिविल अपील सं0 6781-6783 वर्ष 2022)

अक्टूबर 12, 2022

[एम.आर.शाह तथा कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति]

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 - का लागू होना- प्रश्नगत भूमि जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत अर्जित किया जाना ईप्सित था- भूस्वामियों ने जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत आरम्भ भूमि अर्जन कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया था- रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 को निरसित किया गया था- मूल रिट याचीगण- भूस्वामीगण ने निवेदन किया था कि जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम 1990 के अन्तर्गत न तो प्रश्नगत भूमि का कब्जा न ही अधिनिर्णय को घोषित किया गया है- इस प्रकार, भूस्वामीगण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर का हकदार होगे- उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया था तथा अधिनियम 2013 की धारा 24(1) के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने का निदेश दिया था- अपीलकर्तागण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि उच्च न्यायालय ने त्रुटि किया है तथा जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश 2019 के खण्ड 2 (13) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 के दृष्टिगत, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं या दायित्वों को इस प्रकार निरसित किसी विधि के अन्तर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया था तथा यह कि किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार को संस्थित, जारी तथा प्रवर्तित किया जा सकता है मानों जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 को पारित नही किया गया है- अधिनियम 2013 की धारा 24(1) लागू नही होगा- अभिनिर्धारित: अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरम्भ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के बारे में कहता है तथा वर्तमान मामले में, प्रश्नगत भूमि को जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत उपबंधित प्रावधान के अनुसार अर्जित किया गया है- भूस्वामीगण का मामला कि चूँकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य अधिनियम, 1990 का प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के समयविषयक है, अधिनियम 2013 की धारा 24(1) के अन्तर्गत प्रावधान प्रावधान लागू होगा, स्वीकार नही किया जा सकता है- अधिनियम 2013 की धारा 24 की भाषा काफी स्पष्ट तथा असंदिग्ध है एवं यह मातृभूमि अर्जन अधिनियम 1894 के बारे में बात करता है तथा विभिन्न कानूनों के किसी अन्य सम विषयक प्रावधान के बारे में नही कहता है- उच्च न्यायालय ने अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर अदा करने का निदेश देने में गभीर त्रुटि किया है- इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित एक ही निर्णय तथा आदेश को अभिखंडित किया जाता है-

तद्नुसार सभी रिट याचिकाओं को विधि के अनुसार तथा इसके स्वयं के गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है- तथापि, अधिनियम 2013 के लागू होने के संबंध में विवाद्यक को निर्णीत किया जाता है।

अपील अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. अधिनियम 2013 की धारा 24(1)(क) को स्पष्ट रूप से पढ़ने के पश्चात, यह उपबंध करता है कि अधिनियम 2013 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के किसी मामले में, जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय नही किया गया है, तब, प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में अधिनियम 2013 के सभी प्रावधान लागू होगें। अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) भूमि अर्जन अधिनियमिति, 1894 के अन्तर्गत आरम्भ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के बारे में कहता है। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत भूमि को राज्य भूमि अर्जन अधिनियम 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित किया गया है। इसलिए, प्रश्नगत भूमि का अर्जन भूमिअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत नही है। इस बात का खण्डन नही किया जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियमिति तथा जम्मू एवं कश्मीर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश 2019 के पहले, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 पूर्णतया लागू नहीं था जहाँ तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का संबंध है। केवल जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 के अधिनियम पर अधिनियम 2013 को लागू किया जायेगा। मूल रिट याचीगण की ओर से यह मामला है कि चूँकि राज्य अधिनियम वर्ष 1990 का प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के समविषयक है तथा इसलिए, अधिनियम 2013 की धारा 24(1)(क) लागू होगा। पूर्वोक्त को स्वीकार नही किया जा सकता है। अधिनियम 2013 की धारा 24(1) (क) की भाषा काफी स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। यह मात्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अर्जन के बारे में बात करता है तथा यह भिन्न कानूनों के किसी अन्य समविषयक प्रावधानों के बारे में नही बताता है। (पैरा 5.1) (369-एफ.एच 370-ए.सी.)

2. इस प्रक्रम पर बंग्लौर विकास प्राधिकरण तथा एक अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से संप्रेक्षित तथा अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम, 2013 मात्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का निरसन करता है तथा अर्जन से संबंधित किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति नही तथा इसलिए, अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जो व्यावृत्ति किया जाना ईप्सित है मात्र अर्जन है जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ किया गया है तथा उस अर्जन के अन्तर्गत नहीं जिसे किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमित के अन्तर्गत आरंभ किया गया है। उपरोक्त बाध्यकारी निर्णय के दृष्टिगत, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि अधिनियम, 2013 का प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत अर्जन के संबंध में लागू नही होगा (पैरा 5.2) (370- सी.ई., 371-सी)

3. दूसरी तरह से भी आदेश, 2019 के खण्ड 2(13) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 पर विचार करते हुए जिसके अन्तर्गत निरसित विधियों के अन्तर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकारों, दायित्वों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं को व्यावृत्त किया जाता है तथा उन अधिनियमों के अन्तर्गत जारी रहेगा (वर्तमान मामले में अधिनियम, 1990), यह उल्लेखनीय है कि

आदेश 2019 अधिनियम, 2013 के पश्चातवर्ती है। इसलिए यह उपधारित किया जाता है कि आदेश, 2019 को अधिनियमिति करते समय तथा आदेश 2019 के खण्ड 2(13) का उपबंध करते हुए, विधान मण्डल को पूर्ववर्ती अधिनियम (अधिनियम, 2013) के प्रावधानों के बारे में जानकारी थी। इन परिस्थितियों में भी, राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत अर्जित भूमि के संबंध में, अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) पूर्णतया लागू नही होगा। (पैरा 5-3) (371-डी.ई.)

4. दूसरे तरह से ही, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कुछ रिट याचिकाओं में यथापूर्व स्थिति का आदेश था जो कब्जा के संबंध में हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य अधिनियम 1990 भी धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा सामान्य अधिसूचना/घोषणा थी। इसलिए, अधिनिर्णय घोषित करने में प्राधिकरण की ओर से बाधा थी। मूल रिट याचीगण को कुछ मूल रिट याचीगण द्वारा प्राप्त यथापूर्व स्थिति के आदेश का लाभ लेने तथा तत्पश्चात् यह प्रतिवाद करने की अनुमति नही दी जा सकती है कि चूँकि अधिनिर्णय घोषित नही किया गया है ये लोग अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिकर के बढ़े धनराशि के हकदार होगें। (पैरा 5-4) (371-एफ.एच.)

5. उपरोक्त तथा ऊपर बताये गये कारणों एवं इस न्यायालय के विनिर्दिष्ट निष्कर्ष के दृष्टिगत कि जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) लागू नहीं होगा तथा दूसरे तरह से भी जैसा गुणावगुण पर एतस्मिन् उपरोक्त संप्रेक्षित है चूंकि यथापूर्व स्थिति के आदेश तथा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के लंबित रहने के कारण अधिनिर्णय को घोषित नहीं किया जा सका, उच्च न्यायालय अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि अदा करने के लिए अपीलकर्तागण को निदेशित करने में गंभीर त्रुटि किया है। इस विस्तार तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश तथ्यों तथा विधि दोनों पर टिकाऊ नहीं है। (पैरा 6) (374-डी-ई)

बंगलौर विकास प्राधिकरण तथा एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य **(सिविल अपील सं0 7661) - 7663 वर्ष 2018 में एम0ए0 सं0 1614-1616 वर्ष 2019): 2022(2) स्केल 818;** इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल तथा अन्य **(2020) 8 एससीसी 129(2020) 3 एससीआर 1 - भरोसा किया गया।**

<u>निर्णय जन्य विधि-संदर्भ</u>

(2020) 3 एससीआर 1	**भरोसा किया गया**	**पैरा 8.4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 6781-6783 वर्ष 2022

ओडब्लूपी 2555 वर्ष 2018, डब्लूपी(सी) 192 वर्ष 2021 तथा डब्लूपी (सी) 463 वर्ष 2021 में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय जम्मू के निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-10-2021 से।

के विषय में

सिविल अपील सं0 6781 - 6783 वर्ष 2022

तुषार मेहता, महासालिसीटर जनरल, के.एम. नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, अपर महासालिसीटर, पारिजात सिन्हा, देवेश मिश्रा, सुश्री पलक भगत, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, सुश्री

तरुणा अरधेनदुमौली प्रसाद, सुश्री श्रुति अग्रवाल, सुश्री जान्हवीं प्रकाश, पार्थ अवस्थी, कार्तिक डे, अपीलकर्तागण के अधिवक्तागण।

सुनील फर्नांडीज, सकल भूषण, सुश्री नुपुर कुमार, वसू भूषण, सुश्री प्रियांक्षा शर्मा, दिव्यांश तिवारी, सुश्री दीक्षा दादू, सुश्री मुस्कान सुराना, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति द्वारा

1. इसमें प्राइवेट प्रत्यर्थीगण-मूल याचीगण द्वारा अधिमानित अपने अपने रिट याचिकाओं में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-10-2021 से व्यथित तथा असंतुष्ट महसूस करते हुए जिसके द्वारा इसमें अपीलकर्तागण-मूल प्रत्यर्थीगण को भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (एतस्मिन् पश्चात ''अधिनियम 2013'' के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए निदेशित किया गया है, इसमें अपीलकर्तागण-मूल प्रत्यर्थीगण ने वर्तमान अपीलों को अधिमानित किया है।

2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाला तथ्य संक्षेप में निम्नवत् है:

2.1 यह कि, प्रश्नगत भूमि राज्य भूमि अर्जन अधिनियम 1990 (एतस्मिन पश्चात ''राज्य अधिनियम 1990'' के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित किया जाना ईप्सित था। राज्य अधिनियम 1990 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना 15-11-2016 की जारी किया गया था। प्रश्नगत भूमि अपीलकर्तागण-लाभार्थी हेतु अर्जित किया जाना ईप्सित था। यह कि तत्पश्चात राज्य अधिनियम 1990 की धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा 12-11-2018 को जारी किया गया था। भूस्वामीगण-मूल याचीगण ने निम्न अनुरोधों के साथ जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम एसवीटी 1990 के अन्तर्गत आरंभ कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल किया था:-

क. उत्प्रेषण; जिससे रेलवे स्टेशन के निकट चन्नी हिम्मत से गांव परगलटा तथा खाना चरगल, तहसील एवं जिला जम्मू तक पेट्रोलियम डिपो के पुनः स्थापन हेतु भूमि के अर्जन के लिए जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, एसवीटी 1990 की धारा 4, 6, 9 तथा 9-क एवं धारा 17 के अधीन प्रत्यर्थीगण द्वारा आरंभ कार्यवाहियों का अभिखण्डन किया जा सके।

ख. परमादेश; जिससे पेट्रोलियम डिपो के पुनः स्थापन हेतु गांव परगलटा तथा कन्ना चारगल, तहसील एवं जिला जम्मू में अर्जित किये जाने के लिए ईप्सित भूमि के अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निदेश तथा समादेश दिया जा सके।

ग. प्रतिषेध; जिससे प्रत्यर्थीगण को जम्मू एवं कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत पूर्वोक्त गावों के विभिन्न खसरा संख्याओं के अन्तर्गत आने वाले भूमि का कब्जा लेने से रोका जा सके।

2.2 यह कि, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, राज्य अधिनियम 1990 को निरसित किया गया था। जब पूर्वोक्त रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के

समक्ष सुनवाई हेतु आई थी, मूल रिट याचीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि याचीगण संतुष्ट होगें, यदि भूमि अर्जन कार्यवाही का अभिखण्डन करने के बजाय, प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम 2013 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

2.3 उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचीगण की ओर से मामला यह था कि चूँकि राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत न तो प्रश्नगत भूमि का कब्जा लिया गया है न ही अधिनिर्णय घोषित किया गया है, मूल रिट याचीगण अधिनियम 2013 की धारा 24(1) के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर के हकदार होगे।

2.4 पूर्वोक्त अनुरोध का विरोध अपीलकर्तागण द्वारा इस आधार पर किया गया था कि चूँकि अर्जन कार्यवाहियों को राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत आरंभ किया गया है, अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) पूर्णतया लागू नही होगा। अपीलकर्तागण की ओर से यह निवेदन किया गया था कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 सपठित गृह मंत्रालय (जम्मू एवं कश्मीर मामलों का विभाग) के एस.ओ. सं0 3912 (ई) वर्ष 2019 दिनांक 30-10-2019 द्वारा जारी जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 के खण्ड 2 के उपखण्ड (13) के दृष्टिगत अधिनियम का निरसन इस प्रकार निरसित किसी विधि के अन्तर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं या दायित्वों को प्रभावित नही करेगा तथा यह कि किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को संस्थित, जारी तथा प्रवर्तित किया जा सकता है मानो जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 पारित नहीं किया गया है। इसलिए, अपीलकर्तागण की ओर से यह निवेदन किया गया था कि प्रश्नगत अर्जन के संबंध में अधिनिर्णय राज्य अधिनियम वर्ष 1990 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा अधिनियम, 2013 की धारा 24 लागू नही होगा।

2.5 आक्षेपित निर्णय तथा आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया है तथा अपीलकर्तागण - मूल प्रत्यर्थीगण को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए निदेशित किया है।

2.6 अपीलकर्तागण को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने एवं अदा करने का निदेश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय तथा आदेश से व्यथित तथा असंतुष्ट महसूस करते हुए, इसमें मूल प्रत्यर्थीगण-अपीलकर्तागण, जिसके लाभ के लिए भूमि को अर्जित किया गया है, वर्तमान अपीलों को अधिमानित किया है।

3. अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान महा सालिसीटर श्री तुषार मेहता ने जोरदार ढंग से निवेदन किया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्तागण को प्रतिकर का निर्धारण करने तथा अदा करने का निदेश देने में त्रुटि किया है।

3.1 आगे यह निवेदन किया गया है कि आदेश 2019 के खण्ड 2(13) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 के दृष्टिगत राज्य अधिनियम 1990 के मुकाबले मेें निरसन विधि के अन्तर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकारों, दायित्वों तथा बाध्यताओं को व्यावृत्त किया जाता है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी रहेगा।

3.2 अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान महा सालिसिटर श्री मेहता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत अर्जन के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 24(1) पर अन्यथा विचार करते हुए भी, अधिनियम, 2013 पूर्णतया लागू नहीं होगा। यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 केवल ऐसे मामले में लागू होगा जहाँ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जन आरम्भ किया गया है। एम.ए. सं0 1614-1616 वर्ष 2019 में एम.ए.सं0 1346-1348 वर्ष 2019 में सिविल अपील सं0 7661-7663 वर्ष 2018 में दिये गये **बंगलौर विकास प्राधिकरण तथा एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य** के मामले मं इस न्यायालय के निर्णय पर भारी भरोसा रखा गया है।

3.3 अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान महासालिसिटर श्री मेहता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि दूसरे ढंग से भी उच्च न्यायालय ने यह धारित करने में त्रुटि किया है कि चूंकि अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया था तथा कब्जा नही लिया गया था, अधिनियम, 2013 की धारा 24 लागू होगा।

3.4 आगे यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल हुआ है कि अधिनिर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये रोक आदेश के कारण पारित नही किया जा सका था। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए अधिनिर्णय का पारित न किया जाना जो उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये रोक के कारण था अधिनियम, 2013 की धारा 24 को लागू करने का आधार नही हो सकता है।

उपरोक्त निवेदनों को करते हुए वर्तमान अपीलों को अनुज्ञात करने का अनुरोध किया गया है।

4. वर्तमान अपीलों का जोरदार तरीके से विरोध इसमें प्रत्यर्थीगण-मूल रिट याचीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता सुनील फर्नांडीज द्वारा किया गया है।

4.1 यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले मं, चूँकि न तो प्रश्नगत भूमि का कब्जा लिया गया है न ही प्रतिकर संदत्त किया गया है क्योंकि अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया था, अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर अदा करने का निदेश देने में उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटि नही किया गया है।

4.2 मूल रिट याचीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में न तो जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019 के खण्ड 2(13) न ही साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 लागू होगा।

4.3 यह निवेदन किया गया है कि बंगलौर विकास प्राधिकरण तथा एक अन्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अपीलकर्तागण द्वारा रखा गया भरोसा पूर्णतया भ्रामक है, क्योंकि यह वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में लागू नहीं होगा। यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का निरसन बंगलौर विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आरंभ भूमि अर्जन कार्यवाहियों को प्रभावित/व्यपगत नही करेगा, क्योंकि पूववर्ती अधिनियम के प्रावधानों को पश्चातवर्ती अधिनियम में सम्मिलित किया गया था तथा इसलिए, स्वतंत्र अस्तित्व था। यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा लिया गया विचार इस आधार पर था कि चूंकि विनियमित

करने वाला कानून अर्थात बंगलौर विकास अधिनियम, 1976 को निरसित नहीं किया गया था, अधिनियम, 2013 के लागू होने की कोई गुजांइश नही थी। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के सम विषयक था को निरसित किया गया है तथा अधिनियम, 2013 जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के अधिनियमिति पर 31-10-2019 से जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में प्रवृत्त हुआ है।

4.4 आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम 2013 की धारा 24 में विवक्षित स्पष्ट भाषा के दृष्टिगत अर्थात, यदि अधिनियम, 2013 के आरम्भ के समय पर, पुराने अधिनियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय नहीं किया गया है, तब प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में नये अधिनियम (अधिनियम, 2013) के अन्तर्गत सभी प्रावधान लागू होगे। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए यह सुनिश्चित करने का विधान मण्डल का आशय कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियाँ मात्र नये अधिनियम के प्रवृत्त होने के कारण व्यपगत नही हुई थी। फिर भी, आशय अधिनियम, 2013 के प्रचुर प्रावधानों को लाभ भूस्वामियों को देना है। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि यदि निरसन के पहले जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय किया गया है, तब भूस्वामियों के प्रतिकर के अधिकार का निश्चित रूप से निर्धारण मात्र जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम के अनुसार किया गया रहा होगा। फिर भी, जहाँ निरसन के पहले जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है, तथा परिणाम स्वरूप प्रतिकर का अधिकार परिपक्व नही हुआ था, न तो जम्मू एवं कश्मीर पुर्नगठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019 का खण्ड 2(13) न ही साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) में अन्तर्विष्ट स्पष्ट प्रावधान को अकृत करने के लिए लगाया जायेगा क्योंकि यह उपबंध करता है कि जहाँ पुराने/निरसित अधिनियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय पारित नहीं किया जाता है, अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बढ़े हुए प्रतिकर का प्रावधान पुराने/निरसित विधि के अन्तर्गत इस प्रकार के भूमि अर्जन कार्यवाहियों को प्रभावित न करते हुए लागू होगा।

4.5 अब, जहाँ तक रोक आदेश दिनांक 14-12-2018 के कारण अधिनिर्णय पारित न किये जाने का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि तथा इस प्रकार आदेश दिनंाक 14-12-2018 मात्र पक्षकारों को कब्जा के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निदेश देना था तथा उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अधिनिर्णय घोषित करने से रोकते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नही किया था। यह निवेदन किया गया है कि यथापूर्वस्थिति का आदेश भी कुछ रिट याचिकाओं में था तथा अन्य भूमि तक विस्तारित नहीं था। यह निवेदन किया गया है कि उपर्युक्त के बावजूद, अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया था।

4.6 अनुकल्पतः मूल रिट याचीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि अर्जन कार्यवाहियों को कई आधारों पर तथा अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के अधीन प्रतिकर के बढ़े धनराशि को अदा करने के लिए चुनौती दिया गया था राज्य अधिनियम 1990 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय के घोषणा न किये जाने के कारण वैकल्पिक अनुरोध था। यह निवेदन किया गया है कि मूल रिट याचीगण द्वारा अनुरोध किये गये वैकल्पिक अनुतोष के दृष्टिगत, उच्च न्यायालय ने भूमि अर्जन कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने कें संबंध में मूल रिट याचीगण के निवेदनों के

गुणावगुण की जांच नहीं किया था तथा इसलिए, इस विस्तार तक विवाद्यक पर विचार किया जाना है। यह निवेदन किया गया है कि यदि यह न्यायालय इस विचार को ग्रहण करता है कि अधिनियम, 2013 का प्रावधान लागू नही होगा तथा यह कि मूल भू-स्वामीगण अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) (क) के अन्तर्गत बढ़े हुए प्रतिकर के हकदार नही है, इस मामले में, अन्य आधारों पर रिट याचिकाओं का विनिश्चय करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

5. हमने अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान महासालिसिटर श्री तुषार मेहता तथा इसमें प्रत्यर्थीगण-मूल रिट याचीगण की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील फर्नांडीज को सुना।

5.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश का परिशीलन किया, उच्च न्यायालय इसमें अपीलकर्तागण को इस आधार पर अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण करने तथा मूल स्वामीगण को अदा करने का निदेश दिया है कि राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत अधिनिर्णय प्रकाशित तथा/या घोषित नहीं किया गया है। आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश को पारित करते समय, उच्च न्याययालय ने अधिनियम 2013 की धारा 24(1)(क) पर भरोसा किया है। अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) निम्नवत् पठित है:

"24. अधिनियम सं0 1 वर्ष 1894 के अन्तर्गत भूमि अर्जन प्रक्रिया का कतिपय मामलों में व्यपगत हुआ माना जाना - (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के किसी मामले में,

(क) जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय नहीं किया गया है, तब प्रतिकर के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों लागू होगें, या

(ख) जहाँ उक्त धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय किया गया है, तब इस प्रकार की कार्यवाहियाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी रहेगा, मानों उक्त अधिनियम को निरसित नहीं किया गया है।"

अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, अधिनियम, 2013 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के किसी मामले में, जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय नहीं किया गया है, तब, प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगें। अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ भूमि अर्जन कार्यवाहियों के बारे में कहता है। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत भूमि को राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित किया गया है। इसलिए, प्रश्नगत भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत नहीं है। इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमिति तथा जम्मू एवं कश्मीर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019 के प्रख्यापन के पूर्व, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 पूर्णतया लागू नहीं था जहाँ तक जम्मू एंव कश्मीर राज्य का संबंध है। यह

मात्र जम्मू एवं कश्मीर पूर्नगठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमिति पर है, अधिनियम, 2013 को लागू किया जायेगा। मूल रिट याचीगण की ओर से मामला यह है कि चूँकि राज्य अधिनियम 1990 का प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के समविषयक है तथा इसलिए, अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) लागू होगा। पूर्वोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, 2013 के धारा 24(1) (क) की भाषा काफी स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। यह मात्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अर्जन के बारे में बात करता है तथा यह भिन्न कानूनों के किसी अन्य समविषयक प्रावधान के बारे में नहीं कहता है।

5.2 इस प्रक्रम पर बंगलौर विकास प्राधिकरण तथा एक अन्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में यह विशेष रूप संप्रेक्षित तथा अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 2013 मात्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का निरसन करता है तथा अर्जन से संबंधित किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति का नहीं तथा इसलिए, 2013 के अन्तर्गत जो व्यावृत्त किया जाना ईप्सित है मात्र अर्जन है जिसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत आरंभ किया गया है न कि उन अर्जनों के अन्तर्गत जिसे किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति के अन्तर्गत आरंभ किया गया है। पैरा 19 तथा 23 में, इस न्यायालय ने निम्नवत् संप्रेक्षित तथा अभिनिर्धारित किया था:

> *"19. 2013 अधिनियम केवल भूमि अर्जन अधिनियम का निरसन करता है तथा न कि अर्जन से संबंधित किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति का। इसलिए, 2013 अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत व्यावृत्त किया जाना जो ईप्सित है मात्र अर्जन है जिसे भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत आंरभ किया गया था तथा न कि वे अर्जन जिसे किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 24 में अन्तर्विष्ट अभिव्यक्ति का इस प्रकार के किसी विवक्षा को उद्भूत करने वाले स्वयं प्रावधान के अभाव में, प्रावधान में शब्दों को जोड़ते हुए विस्तृत निवर्चन नहीं किया जा सकता है। मेरी राय है कि 2013 अधिनियम बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अर्जन कार्यवाहियों को विनियमित नहीं करेगा।*
>
> *23. उपरोक्त के दृष्टिगत, श्री सुधाकर हेगड़े (ऊपर) में उच्च न्यायालय का विद्वान न्यायमूर्ति यह धारित करने में न्यायोचित नही था कि भूमि अर्जन अधिनियम का प्रावधान जिसे बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में लागू किया गया है संदर्भ द्वारा विधान के प्रकृति में है। विद्वान न्यायमूर्ति यह धारित करने में भी त्रुटि किया है कि 2013 अधिनियम के प्रवृत्त होते हुए भूमि अर्जन अधिनियम के निरसन के दृष्टिगत, 2013 अधिनियम का तत्सम प्रावधान बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाहियों को विनियमित करेगा तथा यह कि इसमें 2013 अधिनियम के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण शामिल होगा। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि भूमि अर्जन अधिनियम को बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम में शामिल किया गया है जहाँ तक यह लागू होता है, 2013 का प्रावधान बंगलौर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अर्जन हेतु लागू नही होता है। इसलिए, श्री सुधाकर*

हेगड़े (ऊपर) तथा अन्य संबद्ध मामलों में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय को एतद्द्वारा नामंज़ूर किया जाता है।"

इस न्यायालय के उपरोक्त बाध्यकारी निर्णय के दृष्टिगत, मेरी दृढ़ राय है कि अधिनियम, 2013 का प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत अर्जन के संबंध में लागू नहीं होगा।

5.3 दूसरे ढंग से भी आदेश 2019 के खण्ड 2(13) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 पर विचार करते हुए जिसके अन्तर्गत निरसित विधियों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकारों, दायित्वों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं को व्यावृत्त किया जाता है तथा उन अधिनियमों (वर्तमान मामले में अधिनियम, 1990) के अन्तर्गत जारी रहेगा, यह उल्लेखनीय है कि आदेश 2019 अधिनियम 2013 के अनुवर्ती है। इसलिए, यह उपधारित किया जाना चाहिए कि आदेश 2019 को अधिनियमिति करते समय तथा आदेश 2019 के खण्ड 2(13) का उपबंध करते समय, विधान मण्डल को पूर्ववर्ती अधिनियम (अधिनियम, 2013) के प्रावधानों के बारे में जानकारी थी। इन परिस्थितियों में भी राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत अर्जित भूमि के संबंध में, अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) पूर्णतया लागू नहीं होगा।

5.4 दूसरे ढंग से भी, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कुछ रिट याचिकाओं में यथापूर्व स्थिति का आदेश था जो कब्जे के संबंध में हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य अधिनियम 1990 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा सामान्य अधिसूचना/घोषणा थी। इसलिए, प्राधिकरण की ओर से अधिनिर्णय घोषित करने में बाधा थी। मूल रिट याचीगण को कुछ मूल रिट याचीगण द्वारा प्राप्त यथापूर्व स्थिति के आदेश का लाभ उठाने तथा तत्पश्चात यह प्रतिवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूँकि अधिनिर्णय को घोषित नहीं किया गया है ये लोग अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिकर के बढ़े धनराशि के हकदार नहीं होगें। **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल तथा अन्य; (2020) 8 एससीसी 129** के मामले में, इस न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित तथा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

(i) अर्जन का व्यपगत होना मात्र भूमि का अर्जन करने वाले अधिकारियों द्वारा व्यतिक्रम के मामले में होता है, किसी अन्य कारण या न्यायालय के आदेश द्वारा कारित नही होता है;

(ii) यदि यह अपेक्षित कदम उठाने के लिए किसी कारण से जो इन पर या सरकार पर नही माना जा सकता है, अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए;

(iii) यदि स्पष्ट रूप से, प्रावधानों के निवर्चन के अनुसार अधिकारियों को न्यायालय के आदेश द्वारा रोका जाता है इस प्रकार के अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए;

(iv) अधिनियम, 2013 का आशय मात्र भू-स्वामियों को लाभ देना नही है। स्वयं धारा 24 का प्रावधान मुकदमा लड़ने वाले पक्षकारों को लाभ देना नही चाहता है, जबकि अधिनियम, 2013 की धारा 114 तथा साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 6 के अनुसार मामले का मुकदमा अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए;

(v) अधिनियम, 2013 का अर्थान्वयन यह नही है कि ऐसे लोग जिन्होंने अर्जन प्रक्रिया पर अभ्याक्रमण किया है और अधिक प्रतिकर का लाभ प्राप्त करना चाहिए जैसा धारा 24 के अन्तर्गत अनुध्यात है;

(vi) प्रावधान द्वारा यह आशयित नही है कि यदि, व्यक्ति, जिन्होंने मुकदमा किया है तथा वाद दाखिल करते हुए सिविल न्यायालयों से या संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेशों को प्राप्त किया है को विशेष रूप से अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उपबंधित विस्तार के सिवाय अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए;

(vii) ऐसे मामलों में जहाँ कुछ भूस्वामियों ने मुकदमा का आश्रय लेने का चुनाव किया है तथा यथापूर्व स्थिति के आदेशों या कब्जा लेने को रोकने वाला अंतरिम आदेश प्राप्त किया है, व्यवहारिक वास्तविकता के रूप में कब्जा लेना या भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान करना अधिकारियों या सरकार के लिए संभव नही है। कई उदाहरणों में, इस प्रकार का अंतरिम आदेश अधिनिर्णय करने को भी रोका है;

(viii) भूस्वामियों द्वारा आरम्भ मुकदमा का विनिश्चय इसके स्वयं के गुणावगुण पर किया जाना चाहिए तथा धारा 24(2) का लाभ जकड़जामा तरीके से वादकारियों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, ये लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके ये हकदार है, अन्यथा नहीं। विलम्ब तथा विलम्बकारी युक्ति तथा कभी कभी पूर्णतया तुच्छ अभिवाक् के परिणाम स्वरूप अधिनियम, 2013 की धारा 24 के उप-धारा (1) के अन्तर्गत लाभ पहुँचाना नही हो सकता है;

(ix) इस न्यायालय द्वारा पारित किसी प्रकार का आदेश अधिकारियों की ओर से आगे अग्रसर होने के कार्यवाही का निषेध करेगा, जब अर्जन को चुनौती लंबित है;

(x) भूस्वामियों के किसी एक मामले में दिया गया रोक का अंतरिम आदेश घोषणा जारी करने के संबंध में अधिकारियों के आगे अग्रसर होने पर पूर्ण रोक का कारण बनेगा;

(xi) जब अधिकारीगण असंभवता के कारण कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, इनके लिए धारा 24 के प्रावधानों के कठोरता से वचना पर्याप्त बहाना होगा। वादकारी के पास अच्छा या बुरा उद्देश्य हो सकता है, सही या गलत हो सकता है। लेकिन इसे इसके बताने पर न्यायालय द्वारा इसके पक्ष में पारित अंतरिम आदेश द्वारा स्वयं द्वारा पैदा किये गये स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नही दी जा सकती है। यद्यपि धारा 24 का प्रावधान भूस्वामियों के बीच भेदभाव नहीं करता है, जो वादकारीगण है या वादकारीगण नही है तथा एक ही अर्जन के संबंध में इनके साथ अलग तरीके से बर्ताव करता है, संसद के आशय के दृष्टिकोण से इन सभी पर विचार करना आवश्यक है। अन्यथा, असंगत परिणाम आ सकता है तथा प्रावधान स्वयं में भेदभावपूर्ण हो सकता है;

(xii) विधि असंभव के पालन की अपेक्षा नही करता है;

(xiii) न्यायालय का कार्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा;

(xiv) जब विधि के एक हिस्से के पालन की अक्षमता है, इस प्रकार के आरोप को माफ किया जाना चाहिए। जब कानून द्वारा विहित औपचारिकताओं के पालन को उन परिस्थितियों द्वारा असंभव बना दिया जाता है जिस पर संबंधित व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं है, इस वैध माफी के रूप में लिया जाना चाहिए;

(xv) न्यायालय का न्यायानुसार अपने अन्तर्निहित अधिकारिता के अन्तर्गत न्यायालय के कार्य द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये क्षति को कम करने का कर्तव्य है;

(xvi) कोई व्यक्ति न्यायालय के कार्य से हानि नही उठा सकता है तथा अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए;

(xvii) अन्य पक्षकारों को अलाभकारी स्थिति में रखने के लिए न्यायालय के आदेश के आड़ में किसी पक्षकार को शरण लेने की अनुमति नही दी जा सकती है;

(xviii) यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के आड़ में उपयोग किया है, इस अवधि को धारा 24 के अन्तर्गत अपेक्षित कदम उठाने के अधिकारियों के निष्क्रियता के लिए शामिल नही किया जा सकता है क्योंकि राज्य के अधिकारियों ने कार्यवाही किया रहा होगा तथा प्रतिकर का निर्धारण करते हुए अधिनिर्णय पारित किया रहा होगा लेकिन न्यायालय के आदेश से।

इसलिए मूल रिट याचीगण - भूस्वामीगण भी इस आधार पर अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के अन्तर्गत प्रतिकर के बढ़े धनराशि का हकदार नही होगे क्योंकि अधिनिर्णय घोषित नही किया गया है ये लोग अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर का हकदार होगें।

6. उपरोक्त तथा ऊपर बताये गये कारणों तथा हमारे विनिर्दिष्ट निष्कर्ष के दृष्टिगत कि जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) लागू नहीं होगा तथा अन्यथा भी जैसा गुणावगुण पर एतस्मिन् उपरोक्त संप्रेक्षित है क्योंकि यथापूर्वस्थिति के आदेश तथा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के लंबित रहने के कारण अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जा सका, उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलकर्तागण को प्रतिकर की धनराशि अदा करने का निदेश देने में गंभीर त्रुटि किया है। इस विस्तार तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश तथ्यों तथा विधि दोनों पर टिकाऊ नही है।

6.1 फिर भी, जैसा बताया गया है कि अर्जन कार्यवाहियों को अन्य आधारों पर चुनौती दिया गया था तथा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिकर अदा करने का अनुरोध वैकल्पिक अनुरोध था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया है तथा इसलिए, उच्च न्यायालय अन्य आधारों पर भूमि अर्जन कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने के संबंध में मूल भूस्वामियों की ओर से किये गये निवेदनों के गुणावगुण की जांच नही किया था, मामले को राज्य अधिनियम 1990 के अन्तर्गत भूमि अर्जन कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए अन्य आधारों यदि कोई है, पर इसके स्वयं के गुणावगुण पर तथा विधि के अनुसार नये सिरे से रिट याचिकाओं का विनिश्चिय करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त तथा ऊपर बताये गये कारणों के दृष्टिगत, ये सभी अपीले सफल होती है। रिट याचिकाओं को अनुज्ञात करने वाले तथा अपीलकर्तागण को अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रतिकर मूल रिट याचीगण/मूल भूस्वामियों को अदा करने का निदेश देने वाले उच्च न्यायालय

द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-10-2021 को एतद्द्वारा अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है। चूँकि उच्च न्यायालय ने भूमि अर्जन कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने के संबंध में अन्य आधारों पर गुणावगुण पर रिट याचिकाओं का विनिश्चय नही किया है, विधि के अनुसार तथा इसके स्वयं के गुणावगुण पर नये सिरे से उक्त रिट याचिकाओं का विनिश्चय करने तथा निपटाने हेतु सभी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है जहाँ तक भूमि अर्जन कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने के संबंध में अन्य आधारों का संबंध है, जिस पर विचार उच्च न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार तथा इसके स्वयं के गुणावगुण पर किया जायेगा। फिर भी, अधिनियम, 2013 के लागू होने के संबंध में विवाद्यक को निर्णीत किया जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुनः चालू नही किया जायेगा एवं यह संप्रेक्षित तथा स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय मात्र भूमि अर्जन कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने के संबंध में रिट याचिकाओं में उठाये गये अन्य निवेदनों यदि कोई उठाया जाता है के गुणावगुण पर विचार करेगा।

तदनुसार पूर्वोक्त विस्तार तक वर्तमान अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, खर्चों के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

अंकित ज्ञान तथा अनुराग भाष्कर — अपीलें अनुज्ञात

(अजय, एलसीआरए, द्वारा सहायता प्राप्त)

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)